आवश्यक शर्त :–

1. स्पॉन आपूर्तिकर्ता के पास मत्स्य हैचरी होनी चाहिए। स्थानीय मत्स्य हैचरी (विभाग द्वारा अनुदानित दर पर निर्मित) संचालक को समान मूल्य दर पर (प्राथमिकता) दी जायगी।
2. स्पॉन आपूर्तिकर्ता को अपने मत्स्य हैचरी की संख्या एवं उपलब्ध बुडर का आँकड़ा देना अनिवार्य होगा।
3. स्पॉन आपूर्तिकर्ता को मत्स्य हैचरी का प्रति चरण स्पॉन उत्पादन क्षमता से अवगत करना अनिवार्य होगा।
4. आपूर्ति किए जाने वाले स्पॉन में भारतीय मेजर कार्प मछली का होना अनिवार्य होगा।
5. स्पॉन की आपूर्ति पॉलिथिन बैग पैकिंग में जिला मुख्यालय में पहुँचाने के उपरांत अद्योहस्ताक्षरी द्वारा विभिन्न प्रखण्डों में निर्धारित कलस्टर स्थल तक जीवित एवं स्वस्थ अवस्था में पहुँचा कर करना होगा।
6. प्रति पॉलिथिन बैग में आपूर्ति किए जाने वाले स्पॉन की संख्या हैचरी से वितरण स्थल तक की दूरी के अनुसार होगी, जिससे स्पॉन की उतरजिविता बनी रहे। प्रति पॉलिथिन बैग में न्यूनतम 30000 तथा अधिकतम 50000 (आयतन में 100 ml) स्पॉन की पैकिंग स्वीकार की जायेगी। प्रत्येक खेप स्पॉन आपूर्ति हेतु सफल निविदादाता को कार्यादेश के साथ कलस्टर के अनुरूप प्रति पॉलिथिन बैग में आपूर्ति किए जाने वाले स्पॉन की संख्या का निर्धारण संलग्न कर सूची उपलब्ध करायी जायगी, जिसे कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
7. पूर्व में सरकारी क्षेत्र में स्पॉन आपूर्ति का विगत तीन वर्षो का अनुभव एवं ब्योरा निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप मे मो. 100000/– रू0 (एक लाख) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जिला मत्स्य पदाधिकारी, कोडरमा के पदनाम से निर्गत हो जो कोडरमा में भुगतेय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. स्पॉन की आपूर्ति हैचिंग के लगभग 60 घंटा बाद गुणवत्ता आधारित मानको के अनुरूप तय समय सीमा के अन्दर जीवित एवं स्वस्थ अवस्था में पहुँचा कर देना होगा, गुणवत्ता के मापदंडो के अनुसार आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित सफल निविदादाता को काली सूची में डालते हुए प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जाएगी। तथा उसी दर पर द्वितीय सफल निविदादाता को आपूर्ति करने का आदेश दिया जायेगा। इस संबंध में किसी न्यायालय में किसी प्रकार के वाद का दावा नहीं किया जा सकेगा।
10. निविदादाता किसी कारणवश स्पॉन आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाता है, तो उस स्थिति में प्रथम सफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि जब्त की जायेगी तथा उक्त दर पर ही द्वितीय सफल निविदादाता को मौका दिया जाएगा।
11. निविदादाता को स्पॉन का दर (परिवहन एवं पैकेजिंग शूल्क सहित) प्रति लाख की दर से अंकित करना होगा। सफल निविदादाता को स्पॉन आपूर्ति के समय स्वीकृत निविदा राशि का 10% लाभुक (मत्स्य बीज उत्पादक) द्वारा एवं शेष 90% राशि सरकार द्वारा देय होगा। तथा जलाशय के छाड़न में संचयन हेतु आपूर्ति की जाने वाली स्पॉन का 100 प्रतिशत राशि विभाग द्वारा भुगतान की जायेगी।
12. निविदादाता को पैन कार्ड की छाया–प्रति एवं वाणिज्यकर विभाग का पंजीयन (GSTin)की छाया–प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
13. निविदा दिनांक 22.06.2019 के अपराहन 1.00 बजे तक प्राप्त की जायेगी एवं उसी दिन निविदा 4.00 बजे अपराहन् में खोली जायेगी। आपूर्तिकर्ता स्वयं एवं उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निविदा में भाग ले सकतें है।
14. विगत वर्ष 2018–19 का (GST in) रिटर्न जमा करना अनिवार्य होगा।
15. विगत तीन वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नही होने का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
17. बिना कारण बताए निविदा कमिटि के पास निविदा रदद् करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
18. निविदा के साथ संलग्न सभी प्रतियाँ/छायाप्रतियाँ स्वअभिप्रमाणित होना आवश्यक है।

19 .निविदा दो अलग–अलग निफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा, एक लिफाफे में उपर्युक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेज रखें जाएगें तथा इस लिफाफे पर तकनिकी प्रस्ताव अंकित किया जायेगा। इस लिफाफे में तकनिकी विवरण के अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के रूप में राशि मो0 150000/रूपया का बैंक ड्राफ्ट, जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किया गया हो एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, कोडरमा के पदनाम से कोडरमा में भुगतेय होगा, एवं दूसरे लिफाफे में निविदा पत्र, दर प्रस्ताव, डयूटी शूल्क वैट, परिवहन व्यय संहित रखा जाएगा। इस लिफाफे पर वित्तीय प्रस्ताव अंकित किया जाएगा। इस प्रकार बनाये गये दो लिफाफे को एक लिफाफे में में डालकर जिस सामग्री के लिए निविदा है उसका नाम अंकित कर तथा लिफाफे मुहरबंद कर प्रस्तुत किया जाना है। निविदा कमिटी द्वारा प्रस्तुत तकनिकी निविदा पहले खोली जायेगी, तकनिकी रूप से सफल निविदादाता का ही, वित्तीय निविदा खोली जायेगी इसलिए वित्तीय प्रस्ताव सुस्पष्ट अंक एवं शब्दों में अंकित होना चाहिए तथा आपूर्तिकर्ता/संबंधित उपक्रम की मुहर होनी चाहिए।

14/6/2019

जिला मत्स्य पदाधिकारी,
कोडरमा।

14/06/19